

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा)
पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. लल्लू पुत्र स्व० श्री पांच्या उर्फ पांचू
 2. रामलाल पुत्र स्व० श्री पांच्या उर्फ पांचू
 3. कैलाश पुत्र स्व० श्री पांच्या उर्फ पांचू
 4. मदन पुत्र स्व० श्री पांच्या उर्फ पांचू
 5. श्रीमति नाथी देवी पत्नि स्व० श्री पांच्या उर्फ पांचू
- समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम विजयसिंहपुरा, बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र स्व० सेडू
 2. बाबूलाल पुत्र स्व० सेडू
 3. श्रीमति गंगा देवी पत्नि स्व० श्री सेडू
- समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम विजयसिंहपुरा, बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
 5. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 203/2012

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु वादी मिन जामिन मुददई रुबरु अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण के वाद में उल्लेखित विवादित भूमि की खातेदारी में भूदान यज्ञ बोर्ड का नाम होने से वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

बसंत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प विजयसिंहपुरा मे आज तारीख 10.05.2017 को जारी किया गया।



मोहर

अशोक कुमार योगी
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

अशोक कुमार योगी
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर